



श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालेयर, कम्प इन्दौर

A- 473/1113

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

दिनांक : 29/10/2013

प्रकाश नांदेडकर पिता वासुदेव नांदेडकर
C/o स्कॉलर्स यार्ड स्कूल
कार्यालय पता 5-ए, प्रेस कॉम्प्लेक्स
ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरुद्ध

सुरेश सेठ पिता किशनलाल सेठ
चेयरमैन, इन्दौर समाचार, ए.पी.पी.प्रा.लि.
निवासी : 17, न्यू देवास रोड इन्दौर (म.प्र.)

2. म. प्र. शासन जिला कलेक्टर
इन्दौर

..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थी का श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला इन्दौर द्वारा निगरानी में लिया गया प्रकरण क्रमांक 69/बी-103/12-13/33 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2013 के विरुद्ध की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को न सुनते हुए प्रतिप्रार्थी क्र. 1 के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

18-6-2014

अपीलाधी की ओर से सूचना
उपरोक्त कोर्ट भी उपस्थित नहीं।
तीन बार पुकार लगाई गई, फिर
भी कोई उपस्थित नहीं। अतः
प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त
किया जाता है।

for
अहमद

(18) ✓
N.F. 18/6/14